# कठपुतली कालोनीवासियों को जाना ही होगा ट्रांजिट कैंपों में

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :** कठपुतली कालोनी में रहने वाले लोगों को पुनर्वास नीति के तहत फ्लैट बनाकर देने की योजना के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि उन्हें ट्रांजिट कैंपों में जाना ही होगा। इतना ही नहीं, जो लोग ट्रांजिट कैंपों में जाने से इन्कार कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए याचिकाकर्ता राजी करेंगे। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन अपनी मांग डीडीए को दो सप्ताह के भीतर दे। जिसमें बताया जाए कि उनकी जरूरतों के अनुसार बिल्डिंग के ले-आउट प्लान में क्या बदलाव किए जाने चाहिए। वहीं, डीडीए याचिकाकर्ता की मांग पर चार सप्ताह में अपना निर्णय दे। डीडीए इसका विशेष ध्यान रखे कि ले-आउट में बदलाव मास्टर प्लान-

- हाईकोर्ट ने निवासियों की याचिका का किया निपटारा

2021 के नियमों के दायरे में ही हो।

खंडपीठ ने कहा कि कठपुतली कालोनी के पांच लोगों का एक दल डीडीए द्वारा बनाए गए ट्रांजिट कैंपों का निरीक्षण करे और देखे कि इन कैंपों में उनके लिए सुविधाएं हैं या नहीं और ये उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं या नहीं? यह निरीक्षण वे 22 मार्च को करें और अपनी रिपोर्ट डीडीए को दें। डीडीए कैंप में उनकी मांग के अनुसार सुविधा मुहैया कराएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम डीडीए द्वारा फ्लैट पाने वाले लोगों की तैयार सूची में नहीं हैं, वे वहां का निवासी एवं मकान मालिक होने के सभी सबूत डीडीए को देंगे और डीडीए उनके आवेदनों पर विचार करे।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट में भूले-बिसरे कलाकार कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सोसायटी लिमिटेड व 27 अन्य लोगों ने केंद्र सरकार, डीडीए व रहेजा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अपने अधिवक्ता सरीम नावेद के माध्यम से एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पुनर्वास योजना को लेकर बहुत से लोगों के नाम फ्लैट पाने वाले लोगों की सूची में नहीं हैं और उन्हें जिन ट्रांजिट कैंपों में भेजा जा रहा है, उनमें सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए इस योजना पर रोक लगाई जाए अन्यथा बहुत से लोग फ्लैट पाने से वंचित होकर बेघर हो जाएंगे।

समझदार